छत्तीसगढ़ राज्य विद्वत होत्हिंग कम्पनी मयादित सूचना का अधिकार अधिनयम 2005

की धारा-4 (1) (बी) के अन्तर्गत स्वमेंच प्रकटोकरण की जानकरी

(PROACTIVE DISCLOUSRE)

विवरणिका

(17 POINT - MANUAL)

-::000::-

अनुक्रमणिका (Index)

Ф.	विवरण	पेज.नं.
01.	प्रस्तावना	03-04
02.	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	05-17
03.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य	18-23
04.	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख	24
05.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया	25
06.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण	26
07.	संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण	27
08.	नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण	28
09.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी	29
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	30-31
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी	32—38
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट	39-42
13.	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी	43
14.	संगठन द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियाँ	44
15.	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी	45
16.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण	46
17.	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	47
18.	अन्य उपयोगी जानकारी	48

प्रस्तावना

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2005 को स्वीकृति प्रदान दी गयी है । सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू हो चुका है ।

प्रस्तुत जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ब) के अन्तर्गत है । इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपालन में नागरिकों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के कियाकलापों में पारदर्शिता लाना है । इस हस्तपुस्तिका में निम्नलिखित सत्रह बिन्दुओं की विवरणिका (Manual) सम्मिलित है ।

- (2) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य । The particulars of its organization, functions and duties;
- (3) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य । The powers and duties of its officers and employees;
- (4) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख । The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;
- (5) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

 The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;
- (6) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण ।

 The ruls, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions, & the norms set by it for the discharge of its functions;
- (7) संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण । A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;
- (8) नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण ।

 The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;
- (9) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी । A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of

two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as

to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

- (10) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका A directory of its officers and employees;
- (11) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी ।

 The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;
- (12) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट । The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
- (13) अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी ।

 The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;
- (14) संगठन द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियाँ ।
 Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the organization;
- (15) इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी | Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronics form;
- (16) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण ।

 The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use:
- (17) लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण । The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;
- (18) अन्य उपयोगी जानकारी । Such other information as may be prescribed;

हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित की जानकारी वेबसाइट http://www.cseb.gov.in में भी पृथक रूप से उपलब्ध है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 <u>मैनुअल कमांक—1</u>

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य The particulars of its organization, functions and duties;

कम विवरण

- 1 प्रारंभिकी
- 1.1 हमारा दर्शन
- 1.2 सिंहावलोकन (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)
- 1.3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित प्रबंधन (यथास्थिति)
- 1.4 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के प्रमुख अधिकारी
- 1.5 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के संगठनात्मक ढॉचा
- 1.6 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के प्रमुख कियाकलाप (वित्तीय वर्ष 2013–14)
- 1.7 कार्यालयीन समय 10.30 बजे से 05.30 बजे तक
- 1.8 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के प्रमुख जनसूचना अधिकारी
- 1.9 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी का पता, कार्यालयीन समय एवं अवकाश

C.S.POWER HOLDING COMPANY LIMITED

The philosophy

Vision

A Reliable, Environment Friendly, Power Generation & Distribution at competitive cost

Mission

To make the State POWER HUB of the Country
To set a reliable PROFESSIONAL & I.T. Savvy utility
To promote EXCELLENCE in Power Business
To set a NATIONAL STANDARD IN efficiency, Oprn. & Maint.

Values

Loyalty & Pride of the Organization Honesty, Professional Integrity & Fairness Safe & Motivating working environment Standard in quality norm Continuous learning process Excellent Employee-Employer relationship

Attitude

A Win Win approach
Customer Centric to the core
Validation of state-of-the art technology to
Indian Power Industry
Transparency in profession
Team Spirit & Mutual Trust

12 सिहावलोकन

(संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1957 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की स्थापना हुई । भारतीय संसद द्वारा पारित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का नव—उदय हुआ, तत्पश्चात विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के माध्यम से जारी अधिसूचना से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया एवं उक्त तिथि से अपनी पैतृक संस्था मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अस्तित्व में आ गया एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने 01 दिसम्बर, 2000 से विधिवत् कार्य करना प्रारंभ किया ।

सम्पूर्ण देश में लागू हुए विद्युत सुधार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को पाँच कम्पनियों में यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत क्रिया गया।

राजपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार दर्शाए गए हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2008

1. ''होल्डिंग कम्पनी'' से अभिप्राय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित से है, जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मुख्य रूप से होल्डिंग कम्पनी, वितरण कम्पनी एवं पारेषण कम्पनी के सुचारू रूप से संचालन के लिए उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए गठित व पंजीकृत किया जाना है।

होल्डिंग कम्पनी के कर्त्तव्य एवं दायित्व

होल्डिंग कम्पनी के कर्त्तव्य एवं दायित्व कम्पनी के द्वारा निर्मिक ''संस्था के ज्ञापन पत्र'' एवं ''संस्था नियमावली'' की धाराओं के अन्तर्गत निर्दिष्ट होंगे या जैसा समय—समय पर परिवर्तन हों ।

होल्डिंग कम्पनी के प्रमुख कियाकलाप एवं दायित्व :-

1. प्रारंभ में यह कम्पनी एक विनियोजना कम्पनी होगी एवं ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों में विनियोग करेगी । यह कम्पनी विद्युत होल्डिंग, पारेषण, वितरण एवं विद्युत ट्रेडिंग या उपरोक्त में से किसी एक या सभी कार्यों को निष्पादित करेगी ।

- 2. यह कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित की होल्डिंग कम्पनी होगी, जिनमें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ("मण्डल") की आस्तियाँ, अधिकार, सम्पत्तियों एवं दायित्व शामिल है और जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग XIII (मण्डल का पुनर्गठन), (एवं तदानुसार अधिसूचित अंतरण योजना) एवं परिपत्रों, अधिसूचना या अध्यादेश के अनुसार पुनर्गठित हुई है।
- 3. यह कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के सुचारू रूप से संचालन के लिए इन कम्पनियों के मध्य समन्वय बनाने का कार्य करेगी।
- 4. यह कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के मध्य उत्पन्न मतभेदों का निराकरण करने का प्रयास करेगी ।
- 5. यह कम्पनी अन्तरण योजना के सुगम कार्यान्वयन होने तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत व्रेडिंग कम्पनी मर्यादित को सभी प्रकार का आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी ।
- 6. इस कम्पनी के संचालन व प्रशासकीय दायित्वों के निर्वहन तथा अन्य सामान्य व्यय का वहन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वेतरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के द्वारा उपरोक्त इक्विटी के अनुपात में किया जाएगा ।
- 7. यह कम्पनी मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारियों से संबंधित देयताओं के विभाजन से जुड़े विवादों का निराकरण करेगी ।
- 8. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में विभाजन से संबंधित विवादित आस्तियों एवं दायित्वों तथा अनुसूची अ, ब एवं स में सम्मिलित नहीं हुए आस्तियों एवं दायित्वों का आबंटन ।
- 9. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के विवादित आस्तियों एवं दायित्वों के अंतिम निपटारे के पश्चात, इन्हें राज्य शासन के अधिसूचित आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी

मर्यादित को वैसे ही अंतरित किया जायेगा, जैसा कि इस अंतरण योजना में किया गया है ।

- 10. इस कंपनी को न्यायालयीन एवं कर से संबंधित मामले जो छ.रा.वि.मं. के नाम पर लंबित है उनका निपटारा भी करना है।
- 11. इस कंपनी को विभिन्न कंपनियों के अंतिम विभाजन तक सामान्य सेवाओं से संबंधित मामलों का निपटारा करना है।

1.3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित का प्रबंधन

(वर्तमान स्थिति)

क्र.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क.	दूरभाष क्रमांक	फैक्स ————————————————————————————————————
			(आफिस)	(निवास)	क्रमांक
1	अध्यक्ष	शिवराज सिंह	4066900	4009942	4028882
		आई.ए.एस.(से.नि.)	2574000		
2	प्रबंध निदेशक	अनूप कुमार गर्ग	2574300		2242955
	(होल्डिंग)		4066901		
3	निदेशक	डी.एस.मिश्रा	2221307	0788-2210157	2221150
		(आई.ए.एस.)	2510236		
		अति० मुख्य सचिव			
		(वित्त)			
4	निदेशक	अमन कुमार सिंह	4080793	2574495	2221311
		(आई.आर.एस.)			
		प्रमुख सचिव ऊर्जा			
5	कार्यपालक	पी.के.अग्रवाल	2574700	2574492	2574157
	निदेशक (मा.सं.)				
6	महाप्रबंधक (वित्त)	आलोक सिंह	2574359	_	_

1.3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के प्रमुख अधिकारीगण 1.3 (अ) मानव संसाधन विभाग :--

(वर्तमान स्थिति)


क्र.	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क.	दूरभाष कमांक	फैक्स क्रमांक
			(आफिस)	(निवास)	
1	कार्यपालक निदेशक	पी.के.अग्रवाल	2574700	2574492	2574157
	(मानव संसाधन)				
2	अति. महाप्रबंधक	अजय कुमार	2574040	_	_
	(मानव संसाधन)	श्रीवास्तव			
3	उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—I	डी.डी.पात्रीकर	2574161		_
4	उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—II	एस.आर.बांधेय	2574151		_
5	उपमहाप्रबंधक	हेमंत सचदेवा	2574113	2272536	_
	(मा.सं.) सचिवालय				
6	उपमहाप्रबंधक (विधि)	दिनेश शुक्ला	2574023	2574024	_
7	उपमहाप्रबंधक (ज.सं.)	विजय मिश्रा	2574702	2574615	_
8	उपमहाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171	- .	_
9	प्रबंधक (मा.सं.)—सचि.	जितेन्द्र मेहता	2574114	2574115	_
10	प्रबंधक (मा.सं.)—दो / पांच	टी.रामप्रसाद राव	2574689	_	
11	प्रबंधक (मा.सं.)	आर.एन. दत्ता	2574690	_	
	–तीन / चार / छः / आठ				

<u>1.3 (ब) वित्त विभाग</u> :-

कार्यालय महाप्रबंधक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम / कार्यालय		दूरभाष	क्रमांक	
		का नाम				
	सर्वश्री / श्रीमती		कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
	\					
1.	आलोक सिंह	महाप्रबंधक				
		(वित्त एवं लेखा)	2574359		94253-87738	_
2.	ए.के.चन्द्राकर	अति.महाप्रबंधक				
		(वित्त एवं लेखा)	2574323	2574324	98268-32747	_
3.	राजेश कुमार	प्रबंधक				
	तांती	(वित्त एवं लेखा)	2574369		93024-47958	_
4.	एस.सी.पाटिल	सहायक प्रबंधक.				
		(वित्त एवं लेखा)	2574346	_	96699-39005	_
	श्रीमति नीतू	सहायक प्रबंधक				
5.	मुखर्जी	(वित्त एवं लेखा)	2574369		98260-68020	_

1.5 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित का संगठनात्मक ढाँचा



2. मानव संसाधन, प्रशासनिक एवं कार्मिक <u>छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी में मानव संसाधन विभाग</u> :--

दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि में छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा समस्त पावर कंपनियों के कुल 60 प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं 17 द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को पदोन्नित प्रदान की गई। साथ ही कुल 353 अधिकारियों / कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।

कार्यरत कर्मी :--

छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. में कार्यरत कर्मियों (कम्पनी वार विभाजन के पश्चात् होल्डिंग कंपनी में कार्यरत किंतु अन्य कंपनियों को आबंटित कर्मचारी जो कार्यभार मुक्त नही हो पाये सम्मिलित हैं) की संख्या दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में निम्नानुसार रही।

क्रमांक	श्रेप	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	41.1
01	25	11	104	46	186

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कर्मी :--

छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में निम्नानुसार रही

वर्ग	श्रेणीवार अज	योग			
4.1	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	नाः।
अजा	2	0	3	2	7
अजजा	0	1	1	4	6
कुल	2	1	4	6	13

महिला अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण :-

छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में निम्नानुसार रही

क्रमांक	श्रेणीवा	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	71.1
01	0	2	4	5	11

सेवानिवृत्ति :—छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. में विचाराधीन अवधि दिनांक 31.07.2013 तक अर्द्धवाषिकी आयु पूर्ण करने के कारण कुल 32 कर्मियों की सेवा निवृत्ति हुई। जिसमे 26 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 05 द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हुई।

छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. द्वारा दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक की अवधि में किये गए प्रमुख कार्य :-

छ.ग.विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि में विद्युत कर्मियों को दी गई पदोन्नति/उच्च वेतनमान/अनुकंपा नियुक्तियां एवं की गई नई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है :--

पदोन्नत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेण	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	41.1
01	60	17	00	00	77

उच्च वेतनमान स्वीकृत किए गए कर्मियों का विवरण

क्रमांक	श्रेणीवार उ	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	914
01	12	49	200	92	353

अनुकंपा नियुक्तियाँ :--

छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान समस्त पांचों विद्युत कंपनी के मृत अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियमित पदो के विरूद्ध कार्यभारित आधार पर कुल 156 कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की गई। श्रेणीवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :--

अनुकंपा नियुक्तियाँ की संख्या

क्रमांक	श्रेणी	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	71.1
01	00	00	51	105	156

नई भर्तियाः-

क्रमांक	٤	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	41.1
01	00	166	554	00	720

सीधी भर्ती से नियुक्तियाँ एवं प्रतिनियुक्तियाँ :-

छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी द्वारा समस्त विद्युत कंपनियों में दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में सीधी भर्ती के तहत कुल 720 (प्रशिक्ष) द्धितीय श्रेणी अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों (विभागीय उम्मीदवार) के तहत नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त 07 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी की सेवाएं राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर दी गई है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्तियां :-

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल 7 अधिकारियों एवं 01 कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की गई। श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	श्रे	योग			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
01	05	02	01	00	08

संविदा से नियमितीकरण :-

छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के आदेश क्रमांक 3311—3312 दिनांक 24.09.2013 द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत कंपनीज में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रेणी —तीन (संविदा) के कुल 215 कर्मचारियों को नियमित किया गया।

सीधी भर्ती के तहत नियुक्तियाँ :-

- i. छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 के अवधि में सीधी भर्ती एवं विभागीय उम्मीदवार के तहत निम्नानुसार विभिन्न पदों सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री एवं परीक्षण सहायक श्रेणी—दो, कुल 720 पदो पर नियुक्तियां की गई। जिसमें से खुली प्रतियोगिता के माध्यम से 166 सहायक यंत्री (प्रशिक्षु), 246 किनष्ट यंत्री (प्रशिक्षु) तथा विभागीय सीधी भर्ती से परीक्षण सहायक श्रेणी—दो की नियुक्ति कुल 308 पदो पर की गई।
- ii. विचाराधीन अविध के दौरान सीधी भर्ती के तहत पूर्व में नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों / कर्मचारियों में से 153 अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। जिसमें से 50 सहायक यंत्री एवं 103 कनिष्ठ यंत्री को नियमित किया गया।

वेतन एवं अनुषंगी लाभ :-

- छ.रा.वि.कंपनियों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को आदेश दिनांक 15.05.2013 द्वारा मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर दिनांक 01.01.2013 से (मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत) 80 प्रतिशत किया गया।
- ण. छ.रा.वि.कंपनियों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दिनांक 01.07.2013 से (मंहगाई भत्ता / मंहगाई राहत) 90 प्रतिशत किया गया।
- ण. छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. के आदेश क्रमांक 1149—1150 दिनांक 22.11.2013 द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2012—13 के लिए रूपये 5000 / बोनस / अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई।

वित्त संकाय:-

- 1. होल्डिंग कंपनी द्वारा सी.एस.ई.बी. उपादान तथा वृत्ति निधि न्यास (सी.एस.ई.बी. पेंशन एण्ड ग्रेज्युटी फण्ड ट्रस्ट) तथा सी.एस.ई.बी. भविष्य निधि न्यास (सी.एस. ई.बी. प्रोव्हीडेंट फण्ड ट्रस्ट) के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण सहित उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति / स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के समय देय भुगतान के दायित्वों का निवर्हन भी किया जा रहा है।
- 2. होल्डिंग कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की अवधि के आयकर संबंधी विभिन्न न्यायालयों, अधिकरण, राज्य तथा केन्द्र शासन तथा केन्द्र शासन के किसी प्राधिकारी के पास लंबित, संव्यवहार के दायित्वों का निर्वहन किया गया है। इसके अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों संबंधी विभाजन विषयक लंबित मुद्दों एवं उससे संबंधित विभिन्न विधिक लंबित प्रकरणों से संबंधित मामलों में भी संव्यवहार के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।
- 3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के वार्षिक लेखों का वैधानिक अंकेक्षण एवं तत्पश्चात् महालेखाकार द्वारा पूरक अंकेक्षण का कार्य क्रमशः दिनांक 28.05.2013 एवं 25.10.2013 को पूर्ण कर लिया गया है।
- 4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के वित्तीय वर्ष 2012—13 के लेखे तैयार कर वैधानिक अंकेक्षण दिनांक 23.12.2013 को पूर्ण कर लिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य

The powers and duties of its officers and employees in CSPHCL;

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य :-

संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग—अलग श्रेणी / पद है जिनकी संख्या विस्तृत है । सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उनके कार्यालय की जरूरत के अनुसार कर्त्तव्य पालन करते हैं । कार्यालयों में उपयोग होने वाले पदनाम की संख्या एवं प्रकार अलग—अलग है तदापि होल्डिंग कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों यथा प्रबंध निर्देशक, कार्यपालक निर्देशक (मानव संसाधन), महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—एक / दो एवं सचिवालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, उपमहाप्रबंधक (औ.सं.) उपमहाप्रबंधक (विधि.), मुख्य अग्निशमन एवं सुरक्षा अधिकारी, उपमहाप्रबंधक (ज.स.) को मण्डल आदेश क्रमांक 01—01 / दो / 219 / 32 दिनांक 20.03.1985 एवं उसमें समय—समय पर किए गए संशोधनों के द्वारा अपने अधिकारियों को कर्त्तव्य निर्वहन के लिए अधिकार प्रत्योजित किए हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी के अधीन पदों का प्रकार्य :--

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), अतिरिक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन), मुख्य चिकित्साधिकारी, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—एक, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—दो, उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—सचिवालय, उपमहाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध), उपमहाप्रबंधक (विधि), मुख्य अग्निशमन एवं सुरक्षा अधिकारी, उपमहाप्रबंधक (प्रकाशन)

उप महाप्रबंधक (मा.सं.) एक

उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—एक द्वारा निष्पादित कार्य को दो प्रभागों में बांटा गया है यथा प्रबंधक—दो एवं प्रबंधक—पॉच

1. प्रबंधक (मा.सं.)-दो

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य यथा :--

- 1. उच्च वेतनमान
- 2. अवकाश यात्रा नगदीकरण
- 3. पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- 4. अवकाश स्वीकृति / अध्ययन अवकाश एवं अन्य अवकाश
- 5. चल/अचल सम्पत्ति क्य विक्य की अनुमति प्रदान करना
- 6. परिवार नियोजन कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप वेतनवृद्धि स्वीकृति का कार्य

- 7. छ.रा. विद्युत मण्डल एवं एम.पी.एस.ई.बी. के मध्य कर्मचारियों का नियतन
- 8. संविदागत नियोजन आदि के कार्य तथा पेंशन प्रकरण
- 9. स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियाँ
- 10. अवकाश स्वीकृति / प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्य
- 2. प्रबंधक (मा.सं.)-पॉच
- 1. अधिकारियों / कर्मचारियों का स्थानान्तरण
- 2. अधिकारियों / कर्मचारियों की पदोन्नति
- 3. अधिकारियों की पदस्थापना
- 4. अधिकारियों का गतिरोध भत्ता
- 5. अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन
- 6. अधिकारियों की भर्ती हेतु पदों का सृजन/ उच्चीकरण/पुनर्नियोजन/आबंटन

उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-दो

उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन)—दो द्वारा निष्पादित कार्य को चार प्रभागों में बांटा गया है यथा प्रबंधक—तीन/आठ, प्रबंधक—चार/छः साथ ही उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधी कार्य विशेष रूप से संपादित किये जाते हैं।

1. प्रबंधक (मा.सं.)-तीन

तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती एवं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही :--

- 1. लोकायुक्त से संबंधित कार्य
- 2. व्ही.आई.पी. पत्र व्यवहार
- 2. प्रबंधक (मा.सं.)—चार / छः
- 1. उच्च वेतनमान
- 2. अवकाश यात्रा नगदीकरण
- 3. पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- 4. अवकाश अध्ययन एवं स्वीकृति
- 5. चल / अचल सम्पत्ति क्य-विक्य की अनुमति प्रदान करना
- 6. परिवार नियोजन कराने पर प्रोत्साहन की अनुमति प्रदान करना
- 7. अवकाश स्वीकृति
- 8. वरिष्ठता सूची
- 9. अनुकंपा नियुक्ति
- 5. प्रबंधक (मा.सं.)—आट
- 1. प्रथम, द्वितीय एवं कनिष्ठ यंत्रियों की भर्ती
- 2. व्यावसायिक प्रशिक्षण
- 3. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य
- 4. तृतीय एवं चत्र्थं श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

- 5. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
- 6. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन

उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—सचि.

- 1. पूर्णकालिक बोर्ड की बैठक से संबंधित व्यवस्था करना
- विधानसभा, संसदीय प्रश्नों के उत्तर का संधारण करना
- 3. विभिन्न समितियों का गठन करना
- 4. व्ही.आई.पी. शिकायत, संदर्भ से संबंधित कार्यों का संधारण करना
- 5. वेतन निर्धारण कमेटी को सहयोग प्रदान करना
- 6. बोर्ड के आवासों को अधिकारियों—कर्मचारियों को आबंटन करना
- 7. मोटर सायकिल, मोटर वाहन, मकान, कम्प्यूटर आदि ऋण की स्वीकृति प्रदान करना
- 8. कंपनियों के परिसम्पत्तियों से संबंधित कागजातों का उचित रख–रखाव करना
- 9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित कार्य करना
- 10. दवाई, अस्पताल के उपयोग में आने वाले साजो—समान की निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करना
- 11. मुख्यालय के लिए दूरभाष यंत्र, मोबाईल, फैक्स मशीन एवं अन्य कार्यालयीन उपयोग के वस्तुओं का क्रय करना
- 12. दूरभाष सारिणी का मुद्रण कराना
- 13. डायरी, कलेण्डर आदि का मुद्रण करना
- 14. कांफ्रेंस सेमीनार आदि से संबंधित कार्यों को सम्पादित करना
- 15. वाचनालय का रख-रखाव
- 16. राज्य, केन्द्रीय शासन एवं अन्य संबंधित कार्यालयों को उनकी मांग अनुसार सांख्यिकी प्रकोष्ट से विभिन्न प्रकार के आंकड़े आदि को प्रदाय करना
- 17. वाहन शाखा
- 18. परकाम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा स्थानीय अवकाश की घोषणा को विद्युत कम्पनियों में लागू करने हेतु परिपत्र जारी करना
- 19. विद्युत कम्पनियों में घटित दुर्घटना एवं चोरी से संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित रखना
- 20. कीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति का गठन करना
- 21. मूलभूत नियम एवं राज्यशासन के विभिन्न

नियमों को अधिग्रहण करना

22. अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

उप महाप्रबंधक (औ.सं.)

- 1. मजदूर संघों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना
- 2. हड़ताल, धरना आदि के समय यथा शासन, श्रम न्यायालय से निर्देश प्राप्त करना एवं हड़ताल को अवैधानिक घोषित करना
- 3. कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों पर अधिकृत अधिकारी (OIC) एवं अधिवक्ता नियुक्त करना
- 4. विद्युत कम्पनियों द्वारा अधिकृत सोसायटियों द्वारा स्कूल, केण्टीन इत्यादि चलाने हेतु अनुदान की अनुशंषा करना
- 5. सुरक्षा सप्ताह आदि का क्रियान्वयन करना विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना ।

उप महाप्रबंधक (विधि)

- कम्पनी प्रमुख के अनुमोदन उपरान्त न्यायालयीन प्रकरणों पर अधिकृत अधिकारी (OIC) एवं अधिवक्ता नियुक्त करना
- अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फीस का प्रबंध करना / निर्धारण करना
- मासिक न्यायालयीन प्रकरणों की रिपोर्ट तैयार करना
- 4. न्यायालयीन प्रकरणों पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना
- 5. न्यायालयीन प्रकरणों में विधिक सलाह देना एवं कम्पनियों के द्वारा उक्त प्रकरणों में अनुमोदन प्राप्त करना

मुख्य अग्निशमन एवं अधिकारी

- कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- 2. ऐसी कार्य विधियों को करना जिससे की दुर्घटनाएँ कम से कम करने का प्रयास करना
- 3. हड़ताल तथा तालाबंदी आदि के समय राज्य पुलिस विभाग से सतत् सम्पर्क बनाए रखना एवं उनका सहयोग प्राप्त करना
- 4. विद्युत होल्डिंग संयंत्र एवं भार प्रेषण केन्द्र आदि की सुरक्षा से संबंधित समय—समय पर नई विधियाँ बनाना ।

उपमहाप्रबंधक (प्रकाशन)

- 1. विभिन्न संचार माध्यमों में कम्पनियों की उपलब्धियों / गतिविधियों का प्रकाषन
- 2. 'संकल्प पत्रिका' का प्रकाशन
- 3. समाचार पत्रों आदि में प्रकाशन हेतु समाचार बुलेटिन आदि तैयार करना
- 4. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनीय आदि के लिए विज्ञापन का संधारण करना
- 5. विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दर, बिल, प्रस्ताव आदि को स्वीकृत करना
- 6. प्रेस दौरा, प्रेस कांफ्रेंस, पत्रकार सम्मेलन, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह आदि की व्यवस्था करना
- 7. पत्र प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना
- स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों से सत्त सम्पर्क, नियमित एवं सामयिक विभागीय प्रकाशन एवं मुद्रण में सहयोग
- 9. कम्पनी के हित में समाचार प्रकाशन करवाना
- 10. विभागीय प्रदर्शनी संबंधित कार्यों का सम्पादन करना ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अंतर्गत वित्त संकाय में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार निष्पादित कार्य

1. महाप्रबंधक (वित्त)

- 1. होल्डिंग कंपनी के वित्तीय प्रस्तावों पर अधिकार क्षेत्रांतर्गत अनुमोदन।
- 2. बजट, शासकीय बजट तथा योजना आयोग संबंधित कार्य ।
- 3. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन, जी.पी.एफ., एल.आई.सी.एवं भवन निर्माण अग्रिम संबंधी ।
- 4. स्थापना, सामान्य प्रशासन, पेंशन, अंकेक्षण, सार्वजनिक उपक्रम तथा ए०जी० आडिट संबंधी कार्य ।
- 5. संसाधन आयोजना संबंधी कार्य, पूर्व के म0प्र0वि0मं0 / छ0रा0वि0मं0 के आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा संबंधी, छ0रा0वि0मं0 का पुर्नगढन और उससे संबंधित कार्य ।
- 6. प्रबंध निदेशक, होल्डिंग कम्पनी के निर्देशानुसार वित्तीय कार्य ।

- 2. अति.महाप्रबंधक (वित्त लेखा)
- 1. होल्डिंग कंपनी के समस्त खातों का संधारण ।
- 2. 31 दिसम्बर, 2008 तक के समस्त खातों का अंतिमीकरण एवं अंकेक्षण ।
- 3. करारोपण एवं समस्त आयकर प्रकरण जो कि किसी भी न्यायालय, ट्रिट्यूनल या किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन में लंबित हो एवं पूर्ववर्ती छ.रा.विद्युत मण्डल के नाम पर हो ।
- 4. पेंशन, जी.एस.एल.आई.एस. आई.टी. (सैप) आडिट एवं सी.ए.यू.
- 3. उपमहाप्रबंधक (वित्त)
- 1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन ।
- 2. बिल्स, विद्युत मण्डल के पुनर्गटन से संबंधित ।
- 3. मृ.प.वि.मं. से संबंधित समस्त प्रकरण जो कि किसी भी न्यायाल, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन / केन्द्रशासन में लंबित हो ।
- 5. वित्त संबंधी Co-ordination कार्य |
- 6. छ.रा. विद्युत मण्डल के पुनर्गटन के संबंधित कार्य
- 4. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- 1. बैंक एवं अर्थ प्रबंधन ।
- 2. वित्तीय अनुमोदन संबंधी कार्य ।
- 3. सामान्य प्रशासन एवं स्थापना कार्य ।
- 4. वित्तीय संयोजन संबंधी कार्य ।
- 5. पूर्ववर्ती छ.रा.वि.मं. एवं म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधि कोई भी प्रकरण जो कि पूर्ववर्ती म.प्र.वि.मं. के पुनर्गठन से संबंधित हो एवं किसी भी न्यायाल, ट्रिब्यूनल या किसी भी राज्य शासन/ केन्द्र शासन के कार्यालय में लंबित प्रकरण ।

•

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख

The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

- 1. विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948
- 2. विद्युत अधिनियम, 2003
- 3. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
- 4. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966
- 6. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958
- 7. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- 8. सामान्य सेवा नियम
- 9. सामान्य भविष्य निधि नियम
- 10. स्थायी मानक (Standard Standing) आदेश
- 11. कारखाना अधिनियम, 1948
- 12. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ सुधार (Reform) अधिनियम, 2000
- 13. मध्यप्रदेश / छत्तीसगढ़ (Reorganization) पुनर्गठन अधिनियम, 2000
- 14. वाणिज्यिक लेखा (Commerical Account) मैनुअल
- 15. नगदी लेखा (Cash Account) मैनुअल
- 16. आचार संहिता
- 17. ई.एस.एस.ए.आर., 1985
- 18. राज्य शासन का नोटिफिकेशन दिनांक 03.06.2006
- 19. आर.ए.ओ. मैनुअल
- 20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपरोक्त नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित रायपुर के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया । The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

संबंधित विभाग के द्वारा प्रकरण शुरू किया जाता है और सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्रत्योजित शक्तियों के अनुसार प्रकरण को उचित माध्यम से स्वीकृत करने हेतु शक्ति सम्पन्न है ।

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण ।

The ruls, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions, & the norms set by it for the discharge of its functions;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित रायपुर में समस्त प्रकरण यथासंभव समय—सीमा के अंदर पालन करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।

संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

अपने कृत्यों के निर्वहन से संबंधित अभिलेखों को सामान्यतः नस्तियों / पंजियों के रूप में संधारित किया जाता है । सामान्यतः संधारित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का वर्गीकरण निम्नलिखित है :—

- 1. गोपनीय चरित्रावलियाँ
- 2. व्यक्तिगत नस्तियाँ
- 3. निविदा अभिलेख / ठेका अनुबंध
- 4. क्य/कार्य प्रकरण नस्तियाँ
- 5. आस्तियाँ एवं सम्पत्ति पंजी
- अवकाश अभिलेख एवं अन्य स्थापना अभिलेख
- 7. विभागीय जॉच नस्तियॉ
- 8. न्यायालयीन प्रकरण नस्तियाँ
- 9. अन्य प्रकीर्ण नस्तियाँ / पंजियाँ
- 10. ऊर्जा क्रय संबंधी वाणिज्यिक अनुबंध
- 11. वार्षिक लेखा प्रपत्र
- 12. टी.ए.बिल, मेडिकल बिल, आवक-जावक पंजी, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी
- 13. विभिन्न समितियों का गठन
- 14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित पंजी

उपरोक्त विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण फाइलों / रजिस्टरों के माध्यम से किया जाता है ।

नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण

The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण तथा तत्संबंधी क्रियान्वयन हेतु जनता या जनप्रतिनिधि से/को परामर्श/भागीदारी का प्रावधान दर्शाता प्रारूप निम्नानुसार है :—

स.	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को	जनता की भागीदारी
क.		भागीदारी अनिवार्य है ?	सुनिश्चित करने के लिए
		(हॉ / नहीं)	की गयी व्यवस्था
	निरंक	निरंक	निरंक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी

A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

ऐसे बोर्डों, परिषदों, सिमतियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, सिमतियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी के संबंध में जानकारी निरंक है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

A directory of its officers and employees of CSPHCL;

GM (H.R) C.S.P.H.C.L.

क्र	पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष	दूरभाष	फैक्स
			क्रमांक	क्रमांक	क्रमांक
			(आफिस)	(निवास)	
1.	प्रबंध निदेशक	अनूप कुमार गर्ग	2574300		
2.	कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)	पी.के. अग्रवाल	2574700	2574492	_
3.	अति.महाप्रबंधक (मा.सं.)	अजय कुमार	2574040	_	_
		श्रीवास्तव			
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ.एच.एल. पंचारी	2574612	_	
5.	अति. मुख्य चिकित्साधिकारी	डॉ. उषा पिल्लई	2574613	2100083	
6.	मुख्यअग्नि.एवंसुरक्षा	सी.एस.ठाकुर	2574670	2107801	_
	अधिकारी				
7.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	एम.एस.रत्नम	2510276	_	
8.	उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—I	डी.डी.पात्रीकर	2574161	2574657	_
9.	उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—II	एस.आर.बांधेय	2574151	_	_
10.	उपमहाप्रबंधक(मा.सं.) सचि.	डॉ. एच. सचदेवा	2574113	2572536	_
11.	उपमहाप्रबंधक (विधि)	दिनेश शुक्ला	2574023	2574024	_
12.	उपमहाप्रबंधक (प्रकाशन)	विजय मिश्रा	2574702	2574615	_
13.	उपमहाप्रबंधक (औ.सं.)	गोपाल खंडेलवाल	2574171		
14.	प्रबंधक (मा.सं.)—सचि.	जितेन्द्र मेहता	2574114	2574115	_
15.	प्रबंधक (मा.सं.)—दो / पांच	टी.रामप्रसादराव	2574689	<u>'</u> _	_
16.	प्रबंधक(मा.सं.)	आर.एन.दत्ता	2574690	_	_
	–तीन / चार / छः / आठ				
17.	विधि अधिकारी	पी.एस.परिहार	2574673		
18.	कल्याण अधिकारी	अतुल तिवारी	2574671		_
19.	सहायक प्रबंधक	पंकज सिंह परमार	2574157	_	_
20.	सहायक प्रबंधक	श्रीमति नम्रता	2574685		
		चौहान			

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (वित्त) के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का नाम पदनाम एवं दूरभाष क्रमांक का विवरण

क	अधिकारी का	पदनाम / कार्यालय	दूरभाष कमांक			
	नाम	का नाम		C.		
			कार्यालय	निवास	मोबाइल	फैक्स
1	आलोक सिंह	महाप्रबंधक (वित्त				
		एवं लेखा)	2574359	_	94253-87738	
2	ए.के.चन्द्राकर	अति.महाप्रबंधक				_
		(वित्त एवं लेखा)	2574323	2574324	98268-32747	
3	राजेश कुमार	प्रबंधक				_
	तांती	(वित्त एवं लेखा)	2574369	_	93024-47958	
4	एस.सी.पाटिल	सहायक प्रबंधक				_
		(वित्त एवं लेखा)	2574346	_	96699-39005	
5	श्रीमति नीतू	सहायक प्रबंधक				_
	मुखर्जी	(वित्त एवं लेखा)	2574369	_	98260-68020	

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी

The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations; प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण मण्डल के निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाता है। मार्च, 2014 की स्थिति में उन्हें भुगतान किए गए मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन) का विवरण निम्नानुसार है :--

	OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (FIN), CSPHCL, RAIPUR						
	INFORMATION REGARDING SALARY						
S.N.	EMP NO.	NAME OF OFFICER SHRI	DESIGNATION	BASIC SALARY			
1.	92372315	P.K.Agrawal	EXECUTIVE DIRECTOR(HR)	74,750			
2.	93970927	Alok Singh	GENERALMANAGER (F&A)	62,350			
3.	93973368	A.K. Chandrakar	A.G.M.(F&A)	51,500			
4.	89972960	Ajay Kumar Shrivastav	A.G.M.(HR)	71,650			
5.	90297069	D. D. Patrikar	D.G.M. (HR) I	71,650			
6.	92454006	S. R. Bandhey	D.G.M.(HR) II	45,900			
7.	89040208	Hemant Sachdeva	D.G.M.(HR)-S	68,550			
8.	93971610	D.K. Shukla	D.G.M.(Legal)	49,950			
9.	82979475	Vijay Kumar Mishra	D.G.M.(Publication)	63,900			
10.	90018275	Gopal Khandelwal	D.G.M.(IR)	56,150			
11.	93020674	R K Shankar	S.E.	71,650			
12.	82979434	Madhusudan Ratnam	ADDL. SUPTG. ENGG.(OSD)	68,550			
13.	91453231	Dhanraj Sahu	S.E.	68,550			
14.	92037521	Ashok Kumar Pandey	S.E.	68,550			
15.	92313475	Manoj Koshley	E.E.	30,900			
16.	89042336	Dr.Usha Pillai	Addl.C.M.O.	67,000			
17.	89040272	Dr.K.S.Chhabra	Addl.C.M.O.	67,000			
18.	91012094	Dr.Ashok Pendharkar	Sr. M.O.	59,250			
19.	89927168	Jetendra Mehta	MANAGER (HR)	68,550			
20.	92513869	T. Ramprasad Rao	MANAGER (HR)	51,500			
21.	90297233	R N Dutta	MANAGER (HR)	48,400			

22.	81974253	G.Sudhkaran Nair	ST. OFFR.	54,600
23.	9950675	Pankaj Singh Parmar	ASSTT. MANAGER (HR)	25,150
24.	9950683	Namarata Chauhan	ASSTT. MANAGER (HR)	24,250
25.	9950121	Rajesh Tanti	MANAGER C/C	23,350
26.	9950444	Neetu Mukherjee	ASSTT. MANAGER	24,250
27.	8497480	Satish C Patil	ASSTT. MANAGER	47,150
28.	9950832	Smt Tripti Singh Verma	ASSTT. MANAGER (HR)	22,450
29.	92372711	Prabodh kumar Bahirat	ASSTT.MANAGER	44,650
30.	90338284	Rakesh Sharma	PRIVATE SECRETARY	45,900
31.	92037901	S K Tiwari	LIBRARY OFFICER	54,600
32.	98970014	Ruben Bara	LIBRARY OFFICER	39,650
33.	85976635	Atul Kumar Tiwari	WELFARE OFFR.	43,400
34.	92050103	Pradeep Singh Parihar	LAW OFFICER	38,400

	OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (FIN),CSPHCL,RAIPUR					
	INFORMATION REGARDING SALARY					
S.N.	EMP NO.	NAME OF EMPLOYEE	DESIGNATION	BASIC SALARY		
1.	9950311	Sanjay Kumar Verma	O.A. GR.III	11,425		
2.	9950329	Ashwani Kumar Lahari	O.A. GR.III	11,425		
3.	9950386	Pushplata Rawat	O.A. GR-III	11,425		
4.	83977072	C. S. Raghunathan	O.A. GR. I	39,650		
5.	89376726	Satya Narayan Mundra	O.A. GR. I	43,400		
6.	89376832	Subrat DasGupta	O.A. GR. I	42,150		
7.	89376899	Rajesh Khare	O.A. GR. I	43,400		
8.	90010371	Rajendra Kumar Durugkar	SR. STENO	27,850		
9.	91371896	Rajendra Kumar Patel	O.A. GR.II	22,450		
10.	92451119	Subhash S. Joshi	O.A. GR. I	37,150		
11.	92452810	Sharad Kumar Pogde	O.A. GR. I	38,400		
12.	92510353	Surendra Kumar Shukla	O.A. GR. I	40,900		
13.	92511285	Dhananjay Kumar Agrawal	O.A. GR.II	34,650		
14.	92512333	Arti Verma	O.A. GR.II	35,900		
15.	92513950	Upendra Kumar Sahu	SR. STENO	38,400		
16.	91482594	Shripati Sahay Nagar	O.A. GR. I	35,900		
17.	92541175	Dakeshwar Singh Baghel	O.A. GR. I	40,900		
18.	4950233	Ragani Bai Siware	PEON	10,075		
19.	84444965	Govind Narayan Shende	DAFTARY	21,100		
20.	91378248	Hemrai Sahu	DAFTARY	25,150		
21.	93517109	Raj Kumar Lahare	PEON	12,325		
22.	93517901	Devendra Kumar Latare	PEON	10,300		
23.	04330899	Ramdhan Rathore	O.A. GR.III	14,125		
24.	04950043	Smt.Pushpa Poddar	O.A. GR.II	15,700		
25.	04950282	Naveen Kumar Sahu	O.A. GR.II	15,700		
26.	04950795	Jitendra Choudhary	O.A. GR.II	15,700		
27.	05950034	Girish Gwal	O.A. GR.III	15,025		
28.	05950299	Jitendra Kumar Sahu	O.A.Gr-III	14,125		
29.	05950380	Lokeshwar Dewangan	O.A.Gr-III	12,775		
30.	09950246	Yogesh Kumar Farikar	O.A. GR.III	12,325		
31.	09950964	Nandkishor Sahu	O.A.Gr-III	11,875		
	<u>i</u>					

32.	09950972	Smt.Sarika Sahu	O.A.Gr-III	11,875
33.	09950980	Mrs.Bharti Pillay	O.A.Gr-III	11,875
34.	09951004	Rahul Kadam	O.A.Gr-III	11,875
35.	10950011	Sandeep Kumar Agrawal	O.A. GR.III	11,425
36.	10950029	Balwant Verma	O.A. GR.III	11,425
37.	10950037	Prasanna Kumar Dubey	O.A.GR-III	11,425
38.	10950185	Rupesh Kumar Nag	O.A. GR.III	11,875
39.	10950318	Narsing Kumar Sahu	O.A. GR.III	10,525
40.	10950342	Kanhaiya Lal Dewangan	O.A. GR.III	10,525
41.	10950359	Smt. Yogita Verma	O.A. GR.III	10,525
42.	14900001	Vijendra Singh Kshatri	O.A. GR.III W/C	10,525
43.	81970708	R.K. Gondane	SECTION OFFR.	43,400
44.	86038253	Ram Kumar Sharma	SECTION OFFR.	43,400
45.	86038253	S.K.Tiwari	SECTION OFFR.	40,900
46.	83970937	Kapil Bhatt	ADDL. O.A.GR.I	42,150
47.	84970853	V.C. Sarkhel	O.A.GR.I	40,900
48.	84971851	P.S. Rege	O.A. GR. I	42,150
49.	84973666	V.K. Banerjee	O.A.GR.I	40,900
50.	85030384	R K Shrivastava	O.A. GR. I	40,900
51.	85970547	K Sanyasi Rao	SR. STENO	33,400
52.	85973053	Shirish Athaley	SR. STENO	37,150
53.	85975736	Anil K. Thomas	SR. STENO	27,850
54.	85977815	K Venkat Rao	O.A.GR.I	39,650
55.	87382097	Bhakt Prahlad Dewangan	MOTOR DRIVER	19,075
56.	89049231	S.R. Kumar	SR. STENO	42,150
57.	89376866	CPR Naidu	O.A. GR. I	40,900
58.	89377252	Abraham Varghese	O.A. GR. I	42,150
59.	90043348	K.K. SAHU	SECTION OFFR.	44,650
60.	90049569	Shriniwas Patel	O.A. GR.II	33,400
61.	90291559	Shrikant Londhe	SR. STENO	39,650
62.	90352574	Vijay Kumar Shrivastava	O.A. GR.II	38,400
63.	90352673	Umesh Pd. Upadhyaya	O.A. GR.II	38,400
64.	90374362	D.L. Murty	ADDL. O.A.GR.I	40,900
65.	90376136	Deepak Ram Yadav	SR. STENO	38,400
66.	90376185	O.P. Sharma	O.A. GR. I	42,150

67.	90510081	Santosh Kumar Dubey	O.A. GR. I	42,150
68.	90512020	Shailesh Kumar Soni	O.A. GR.II	23,350
69.	90513804	Komal Pd. Patel	O.A. GR.II	35,900
70.	90517888	S.G. Rajimwale	O.A. GR.II	22,450
71.	90518415	Kamlesh Kumar Kekti	ADDL. O.A.GR.I	37,150
72.	90519462	Manoj Kumar Tiwari	O.A. GR. I	40,900
73.	90580655	Umesh Brahme	O.A. GR.II	22,450
74.	91370410	Rajkumar Pandey	O.A. GR. I	42,150
75.	91374031	Uttam Kumar Pal	MOTOR DRIVER	21,100
76.	91376598	Ishwar Prasad Sharpa	O.A. GR.II	37,150
77.	91453918	Pradeep Singh Nadanwan	O.A. GR.II	21,775
78.	91514561	M.H. Saify	O.A. GR.II	23,350
79.	91516848	Radheshyam Kesharwani	O.A. GR.II	21,775
80.	91550707	Mahendra Tiwari	O.A. GR. I	40,900
81.	92042661	Rajesh Thakur	O.A. GR.II	38,400
82.	92059425	Manohar Lal Banwari	SR. STENO	37,150
83.	91548741	K.K.Pathak	O.A. GR.II	25,150
84.	92451887	Sheetal Sahu	O.A. GR. I	42,150
85.	92452612	Atul Gadre	O.A. GR.II	21,100
86.	92458932	Satpal Singh Dhiman	SR. STENO	37,150
87.	92480076	Jabir Mohd. Quraishi	ADDL. SR. STENO	26,050
88.	92510551	M.K. Verma	O.A. GR.II	24,250
89.	92510865	Dilip Agrawal	O.A. GR.II	35,900
90.	92510957	Anant Kumar Mistri	O.A. GR.II	21,775
91.	92511335	Rameshwar Nagtode	O.A. GR.II	37,150
92.	92511475	Ravikant Sahu	Security Inspector	27,850
93.	92513752	Shesh Kumar Soni	O.A. GR.II	21,775
94.	93510385	Alok Pandey	O.A. GR. I	42,150
95.	93510732	Kamal Bhawar	O.A. GR.II	22,450
96.	93512274	Dilip Kumar Yadu	O.A. GR.II	34,650
97.	93514015	Amit Kumar Mehta	O.A. GR.II	37,150
98.	93516358	Sanjay Tembe	ARTIST	14,575
99.	4950365	Amritlal Patel	PEON	9,850
100.	5950349	Uma Sahu	PEON	9,400
101.	9950576	Chetna Sahu	PEON W/C	8,950

102.	9950618	Santoshi Chauhan	PEON	8,725
103.	10950248	Narendra Mishra	PEON	8,500
104.	10950250	Suryabhan Patel	PEON	8,500
105.	10950276	Vimlesh Kumar Patel	PEON	8,500
106.	4950175	Lal Bahadur Patel	PEON	10,975
107.	10950284	Pyare Lal Yadav	PEON	8,500
108.	10950292	T. Laxmi Narayan Rao	PEON	8,500
109.	10950417	Pitambar Verma	PEON	8,500
110.	85977849	Dayal Singh Netam	PEON	19,750
111.	92332541	Jagatpal Yadav	PEON	14,575
112.	92518603	Heeraram Sahu	ADDL. C.ATTD.GR-1	22,450
113.	93397551	Smt.Asha Pal	PEON	14,575
114.	93517298	Manoj Kumar Banjare	PEON	11,875
115.	93517323	Rajendra Kumar Baghmar	PEON	11,875
116.	93517331	Falgu Ram Nishad	PEON	11,875
117.	93517348	Lekh Ram Sahu	PEON	12,325
118.	93517422	Ambika Pd. Dhiwar	PEON	11,425
119.	93517935	Sukhlal Kanojiya	PEON	10,975
120.	93518008	Awadh Sharan Patel	PEON	11,875
121.	93518669	Yado Rao Dahake	PEON	10,975
122.	93518859	Bhupendra Sinha	PEON	10,300
123.	93519088	Premlal Dauriya	PEON	10,975
124.	93519096	Dhani Ram Sahu	CLEANER	10,975
125.	89048572	Shesh Narayan Verma	SECURITY GUARD	23,350
126.	13900101	Poornima Yadu	PEON	8,050
127.	13900104	Mahesh Rathore	PEON	8,050
128.	13900105	Rajkumar Sao	PEON	8,050
129.	10950409	S.Bhagirathi Rao	PEON	8,050
130.	93517414	Dew Kumar Sahu	PEON	11,425
131.	9950527	Jageshwar Sahu	PEON	8,950
132.	92301645	Anita Dumare	A.N.M.	31,800
133.	90376334	Angad Ram Sahu	ADDL.O.GR. II	
134.	92301298	Neelmani Panchari	STAFF NURSE	32,150
135.	85970596	Mool Sajiwan Sharma	PHARMACIST	26,950
				40,900

136.	92049996	Vijay Tiwari	PHARMACIST	38,400
137.	92512663	Nisar Ahmad Sheikh	O.A. GRII	38,400
138.	92059748	Lakhpati Sindoor	WARD BOY	23,350
139.	9950295	Narayani Bai	PEON W/C	8,950
140.	85973558	Tarachand Ben	Sr.SECURITY GAURD	19,750
141.	89422784	Vijay Lakra	Sr.SECURITY GAURD	17,725
142.	91452472	Ghasiya Ram Sahu	Sr.SECURITY GAURD	25,150
143.	92512804	Gajanand Sahu	SECURITY GAURD	26,050
144.	94340964	Chunnulal Sahu	SECURITY GAURD	25,150
145.	94321575	Manik Sharma Kujur	Sr.SECURITY GAURD	17,725
146.	90330860	Surendra Kumar Sahu	Sr. Steno	30,900
147.	9950337	Virendra Kumar Pathak	Jr. Steno	13,225
148.	10950367	Viju Pillai	Jr. Steno	12,775
149.	10950375	K.M.Lalitha	Jr. Steno	12,775
150.	91374536	N.Prabhakar Rao	P.A.	44,650

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट

The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

परिशिष्ट – दो

प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय का विवरण (लाख में)

			1 4/1 144 ()	,	1
क 1	विवरण 2	वास्तविक आंकड़े 2012—13 3	बजट अनुमान 2013—14 4	पुनरीक्षित अनुमान 2013—14 5	बजट अनुमान 2014—15 6
	ब— प्रशासनिक व्यय तथा सामान्य व्यय 1.— किराया तथा कर				
	क— किराया	15.20	45.00	15.60	17.16
	ख– निर्धारित कर	0	0	0	0
	2. बीमा	151.00	165.26	107.00	104.00
	3. राजस्व स्टाम्प व्यय	0	0	0	0
	4. टेलीफोन व्यय डाक तार तथा टेलेक्स व्यय	6.02	4.60	5.91	5.00
	5. कानूनी व्यय	101.45	94.10	26.41	72.00
	6. लेखा परीक्षण शुल्क	2.32	2.00	2.00	2.00
	7. परामर्श व्यय	34.20	285.00	295.19	328.00
	8. तकनीकी शुल्क	0	0	0	0
	9. अन्य व्यवसायिक व्यय	96.21	5.50	99.04	109.36
	10. यात्रा भत्ता	10.16	11.50	11.55	12.89

11. जीप / कार तथा अन्य वाहन पर किराया व्यय	135.96	130.54	154.75	142.96
12. अन्य व्यय	0	0	0	0
क— फीस तथा अंशदान	5.13	3.05	5.26	5.68
ख– पुस्तकें, पत्रिकायें तथा समाचार पत्र	0.61	0.24	0.36	0.55
ग— मुद्रण तथा लेखन सामग्री	17.47	14.10	15.45	17.00
घ— विज्ञापन	33.53	30.00	30.32	33.00
ड— अंशदान	16.00	0	0	0
च— विद्युत व्यय	0	0	0	0
छ– जल कर	0.01	0	0	0
ज– मनोरंजन व्यय	39.05	40.32	32.05	36.32
झ— विविध व्यय	33.20	101.07	26.55	33.00
13. भवन	0	0	0	0
14. अन्य खरीदी व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50
15. कार्यालय विद्युत शुल्क	1.51	92.00	3.09	60.00
16. मण्डल सुरक्षा कर्मी / भृत्य / वाहन चालकों की वर्दी	0.38	1.34	0.30	0.34
17.उपस्कर / कार्यालयीन उपकरण / साज समान	14.88	13.95	14.83	12.00
18. प्रकाशन	0	3.60	3.60	4.00
19. प्रदर्शनी / सेमीनार	0.28	15.00	0.28	0.31
योग—प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	715.09	1,058.67	850.03	996.07

कर्मचारी व्यय का विवरण (लाख में)

क	विवरण	वास्तविक आंकड़े 2012—13	बजट अनुमान 2013—14	पुनरीक्षित अनुमान 2013—14	बजट अनुमान 2014—15
1	2	4	5	6	7
1	कर्मचारी व्ययः—				
	1— वेतन + (मंहगाई वेतन)	697.15	698.60	658.69	680.05
	2— प्रोत्साहन राशि	0	0	0	0
	3— मंहगाई भत्ता	458.55	533.11	563.43	714.05
	4- अन्य भत्ते	0	0	0	0
	क— नगर संपूरक भत्ता	0	0	0	0
	ख— संपूरक भत्ता	20.47	20.30	18.48	18.87
	ग– गृह भाड़ा भत्ता	131.78	133.75	128.01	131.29
	घ— सवारी भत्ता	15.07	14.99	14.33	14.44
	च– जोखिम भत्ता	0.02	0.02	0.35	0.35
	छ— अधिसमय भत्ता	0	0	0	0
	ज– अन्य (स्पष्ट करें)	8.20	8.44	8.78	9.05
	कर्मचारी अग्रिम	0	0	0	0
	धुलाई भत्ता	0	0	0	0
	5— बोनस	0	0	0	0
	6— अनुग्रह राशि	6.72	8.98	6.85	6.92
	7— चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	19.39	11.94	20.31	21.66
	8— अवकाश यात्रा रियायत	5.41	5.79	2.01	2.45
	9— शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.76	0.85	1.46	1.60

10—अर्जित अवकाश नगदीकरण	0	0	0	0
11— अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति नगदीकरण	0	0	0	0
12— कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् अदायगी	0	0	0	0
13— कर्मचारी राज्य जीवन बीमा के लिये व्यय	0	0	0	0
14— कर्मचारियों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	0	0	0	0
15— कर्मचारियों के कल्याणकार्यो पर व्यय	28.60	49.50	45.00	40.00
16— वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रावधान	0	0	0	0
17— एरियर्स / बकाया भुगतान हेतु प्रावधान	0	0	0	0
18— कर्मचारियों को अग्रिम शुद्ध गृह निर्माण हेतु	0	0	0	0
19— अस्पताल व्यय	93.00	95.00	95.00	103.00
20— सेवान्त लाभ	30.00	25.00	0	0
21—त्यौहार / अनाज / मोटर सायकिल / मोटर कार	0	0	0	0
22—विविध व्यय	0.20	0.25	0.20	0.25
23—यात्रा देयक	0	0	0	0
योग—कर्मचारी व्यय	1,515.32	1,606.52	1,562.91	1,743.96

अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी

The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है के संबंध में जानकारी निरंक है ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियाँ

Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by CSPHCL;

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण निरंक है ।

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी

Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronics form;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित रायपुर के वेबसाइट http://www.cseb.gov.in में कम्पनी से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध है ।

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

सूचनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं:-

- 1. समस्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट में उपलब्ध है ।
- 2. सूचना पटल ।
- 3. अखबारों के माध्यम से ।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनमानस आवेदन कर निर्धारित शुल्क अदायगी के पश्चात् अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
- 5. उपलब्ध विभागीय मैनुअल

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित के अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी का विवरण

				1	
क.	कार्यालय का	कार्यालय का नाम,	जनसूचना	सहायक	अपीलीय
	स्तर	स्थान, पता एवं	अधिकारी का	जनसूचना	अधिकारी का
		दूरभाष क्रमांक	नाम एवं पद का	अधिकारी का नाम	नाम एवं पद का
			नाम	एवं पद का नाम	नाम
1.	कार्यपालक	कार्यपालक निदेशक	श्री एस.आर.	श्री पंकज सिंह	श्री पी. के.
	निदेशक (मानव	(मा०सं०)	बांधेय	परमार	अग्रवाल
	संसाधन)	छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.	उपमहाप्रबंधक	सहायक प्रबंधक	कार्यपालक
		रायपुर	(मा.सं.)—दो	दूरभाष कमांक	निदेशक
		दूरभाष क. 2574700	दूरभाष क्रमांक	2574157	(मानव संसाधन)
			2574151		दूरभाष कमांक
					2574700
2.	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	श्री ए.के.	श्री एस.सी.पाटिल	श्री आलोक सिंह
	(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	चन्द्राकर	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक
		छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.	अति. महाप्रबंधक	दूरभाष कमांक	(वित्त)
		रायपुर	(वित्त)	2574345	दूरभाष क्रमांक
		दूरभाष क्रं2574359	दूरभाष क्रमांक	2574346	2574359
			2574323		

अन्य उपयोगी जानकारी Such other information as may be prescribed;